न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. सेडया पुत्र लटटू आयु 70 साल
2. प्रहलाद पुत्र लटटू आयु 58 साल
3. राजूलाल पुत्र लटटू आयु 52 साल
4. रामकिशोर पुत्र लटटू आयु 48 साल

सभी जातियान मीना निवासीयान तालचिडा तहसील नादौती जिला करौली — प्रार्थीगण

बनाम

1. गोकल पुत्र बुदा
2. जयराम पुत्र गोकल
3. हरसहाय पुत्र गोकल
4. मोहरसिंह पुत्र गोकल

सभी जातियान मीना निवासीयान तालचिडा तहसील नादौती जिला करौली

5. सरकार जरिये उपजिला कलक्टर महोदय उपखण्ड नादौती — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर0टी0एक्ट बावत मुंतकिल किये जाने दावा मुकदमा नम्बर 40 / 19 उनवानी गोकल बनाम सेडया न्यायालय उपजिला कलक्टर नादौती

निर्णय

दिनांक 10.02.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 235 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा उनवानी गोकल बनाम सेडया वगै0 मुकदमा नम्बर 40 / 19 दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व हुक्म इम्तनाई दवामी न्यायालय उपजिला कलक्टर नादौती में लंबित है। दिनांक 03.07.1996 को अप्रार्थी नं0 1 द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय गंगापुरसिटी के समक्ष उक्त दावा पेश किया गया था एवं प्रार्थीगण ने दावा उनवानी सेडया वगै0 बनाम गोकल वगै0 दिनांक 12.07.1996 को न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय गंगापुरसिटी में पेश किया था उक्त दावा सेडया बनाम गोकल को श्रीमान उपजिला कलक्टर नादौती के आदेशिका दिनांक 24.05.2003 से गोकल बनाम सेडया में समेकित कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी बार–बार सुनवाई नहीं कर नजदीक तारीख दे रहे सुनवाई की कहने पर कहते है कि आपके कहने से सुनवाई नहीं होगी। अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर ली है और ऐलानिया धमकी दे रहे कि हम सुनवाई नहीं होने देंगे जब हम चाहेंगे तब ही पीठासीन अधिकारी सुनवाई करेंगें। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते देखा है। अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी है कि हम हमारे मुकदमें का फैसला हमारे पक्ष में करा कर रहेंगें। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ हो जाने से एवं प्रतिवादीगण के मर्जी मुताबिक सुनवाई की संभावना को देखते हुये न्याय की उम्मीद नही रही है प्रार्थी को ऐसी स्थिति में न्याय मिलना सम्भव नहीं है। प्रार्थी के पास मुकदमा अंतरित कराने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। इस कारण दावा को उपजिला कलक्टर नादौती से अन्यत्र अंतरित किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मद नंबर 1 में मुकदमा नंबर 40 / 19 मुकदमा न्यायालय उपजिला कलक्टर नादौती में

विचाराधीन होना स्वीकार है परन्तु अप्रार्थी नंबर 1 गोकल का देहावसान हुये बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके है इसलिये प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र अवैट होने व गलत पेश होने से खारिज किये जाने योग्य है। मद नंबर 2 में वर्णित मुकदमें विचाराधीन होना स्वीकार है व समेकित होना स्वीकार है। मद नंबर 3 स्वीकार नहीं है चूंकि उक्त मुकदमा न्यायालय द्वारा गंगापुरसिटी से हिण्डौन, हिण्डौन से श्रीमान् आर.ए.ए. सवाईमाधोपुर व राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से निगरानी खारिज होने के बाद न्यायालय उपजिला कलक्टर करौली में दर्ज रजिस्टर हुआ है जिसे करीब 27 वर्ष व्यतीत हो चुके है। उक्त मुकदमा काफी पुराना है। राज्य सरकार की गाईड लाईन है कि 10 साल पुराने मुकदमों की कार्यवाही डे–टु–डे चलाकर उचित निर्णय दिया जावें इसलिये अब पत्रावली को नजदीकी सुनवाई हेतु रखा गया। मद नंबर 4, 5 व 6 गलत है एवं स्वीकार नहीं है। सही बात यह है कि प्रार्थी जनसुनवाई करने पर सहमत नहीं है। न्याय पर भी विश्वास नहीं है। अप्रार्थीगण का मुकदमा करीब 27 वर्ष पुराना है जिसमें अप्रार्थी नं. 2 ता 4 के पिता गोकल भी मुकदमा लडते–लडते मर गये। अब अप्रार्थीगण 2 ता 4 भी बुड्ढे हो चुके है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से स्थानांतरण प्रार्थना पत्र गलत व न्याय या अविश्वास कर न्याय में देरी करने हेतु पेश की है जो काबिले खारिज करने योग्य है। बाकी तथ्य वरवक्त उज् कर दिये जावेंगे। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण 2 ता 4 ने अप्रार्थी नं. 1 का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। अप्रार्थी नं. 1 के वारिसान पूर्व से ही रिकॉर्ड पर हैं।

उपखण्ड अधिकारी नादौती ने पत्रांक–रीडर/2020/3038 दिनांक 27.01.2020 से अवगत करवाया है कि उपरोक्त मुकदमा 40/19 सन् 1996 का है जिसे करीब 25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मुकदमा वादी साक्ष्य में विचाराधीन है। पुराने मुकदमों को 3 माह में निस्तारित किये जाने की गाइडलाइन आने के बाद नजदीक की तारीख पेशी नियत करना तय किया गया है। मद नं. 4 निराधार है। मुकदमे की सुनवाई न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर ही पत्रावली सुचारू रूप से चलाई जा रही है। वादी व प्रतिवादीगण से कोई सांठ–गांठ नहीं है। मद नं. 4 ता 6 में लगाये गये आक्षेप प्रत्यारोप बिल्कुल निराधार होने से न्याय की प्रणाली आरोपित होती है। पत्रावली निषेध 15 सालों से वादी के पक्ष में विचाराधीन है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती में विचाराधीन मुकदमा नं. 40/19 उनवानी गोकल बनाम सेडया करीब 23 वर्ष पुराना मुकदमा है जिसको न्यायहित व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 3 माह में निस्तारित किया जाना आवश्यक है। इसलिये उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा प्रकरण में सुनवाई हेतु नजदीकी तारीख पेशियां प्रदान किया जाना नियमानुसार सही है। चूंकि पत्रावली निषेध भी प्रार्थीगण के पक्ष में विचाराधीन है इसलिये प्रकरण के शीघ्र निस्तारण होने की संभावना से प्रार्थीगण के प्रभावित होने के कारण प्रकरण को देरीना किये जाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना विदित होता है। फिर भी उपखण्ड अधिकारी, नादौती से न्याय की उम्मीद नहीं होने की प्रार्थीगण की प्रार्थना पर प्रकरण को न्यायहित में अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जाना उचित रहेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती में लंबित मुकदमा नं. 40/19 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा में अंतरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को आदेश दिये जाते

हैं कि वे प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण को निस्तारित करें। उभय पक्षकारान दिनांक 04.03.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा में न्यायालय समय में उपस्थित हों। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, नादौती को प्रेषित हो एवं निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती की पत्रावली संख्या 40 / 19 सेडया बनाम गोकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:48:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: